

160144 - क्या कुरआन के हाफिज़ से शादी करने वाली महिला के लिए कोई निर्धारित अज़्र व सवाब है ?

प्रश्न

उस आदमी से शादी करने का कुरआन व हदीस के अंदर क्या प्रतिफल, पुण्य और लाभ वर्णित है जो कुरआन का हाफिज़ है और वह कुरआन ही को अपना महर नियुक्त करता है ? अल्लाह तआला आप को सर्वश्रेष्ठ बदला दे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कुरआन करीम के हाफिज़ से शादी करने की फज़ीलत वही है जो नुबुव्वत के मीरास (अर्थात् कुरआन व हदीस का ज्ञान) के धारक से शादी करने की फज़ीलत है, अगर यह हाफिज़ उस चीज़ पर अमल करने वाला है जिसका वह हाफिज़ है तो उसके अंदर भलाई के सभी तत्व एकत्रित हो गए ; आंतरिक भलाई इस कारण कि वह अपने दोनों पहलुओं के बीच अल्लाह तआला के कलाम को सुरक्षित किए हुए है, तथा नेक अमल और सद्बचवहार के द्वारा जाहिर (प्रत्यक्ष) की भलाई, अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है :

تُمْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

[फातर: 32]

“फिर हम ने इस किताब (कुरआन) का वारिस उन लोगों को बनाया जिन्हें हम ने अपने बंदों में से चयन कर लिया (पसंद फरमाया)।” (सूरत फातिर : 32)

तथा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ  
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

[फातर: 29-30]



“जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज़ की पाबंदी रखते हैं और जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान किया है उस में से गुप्त और खुले तौर पर खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के आशावान हैं जो कभी घाटे में न होगी। ताकि वह (अल्लाह) उन को उन के संपूर्ण प्रतिफल (मज़दूरियाँ) दे और उन को अपनी कृपा व अनुकम्पा से और अधिक प्रदान करे, निःसंदेह वह बड़ा क्षमादाता क़दरदान है।” (सूरत फातिर : 29, 31)

मुतर्रिफ रहिमहुल्लाह जब इस आयत को पढ़ते थे तो कहते थे कि : यह कारियों की आयत है। देखिये : तफसीरुल कुरआनिल अज़ीम (6/545)

तथा कुरआन करीम के हाफिज़ के फज़ाइल का विस्तार पूर्वक वर्णन हमारी साइट पर प्रश्न संख्या : (14035) और (20803) में गुज़र चुका है।

अतः जिस व्यक्ति की यह फज़ीलत और अज़्र व सवाब है उस से शादी करने से निःसंदेह इस बात की अधिक आशा है कि वह पत्नी के लिए सौभाग्य, अल्लाह के हुक्म से बच्चों के लिए शराफत और बेहतरी, और संपूर्ण परिवार के लिए प्रसन्नता, स्वीकारता और संतोष का कारण बनेगा।

परंतु यह सब इस शर्त के साथ है कि कुरआन का हाफिज़ उस में जो कुछ आदेश हैं उनका पालन करने वाला हो, उसके चरित्र से सुसज्जित हो, उसके व्यवहार से शोभित हो, अपने समस्त मामले में अल्लाह से डरने वाला हो। और ऐसे ही गुणों का धारक शादी करते समय लड़के या लड़की के खोज और दृष्टि का केंद्र होना चाहिए, मात्र कुरआन का स्मरण (कंठस्थ) नहीं जो उसके अनुसार अमल करने से रिक्त हो, या मात्र शब्दों और अक्षरों का रट लेना नहीं जो व्यवहार और आचरण पर प्रभाव न डाले, ऐसे व्यक्ति से तो बचना और उपेक्षा करना चाहिए ताकि उस से धोखा न हो, जैसाकि इब्नुल जौज़ी ने “तल्बीस इब्लीस” (पृष्ठ: 137-140) में एक अध्याय में इस पर चेतावनी दी है जिसे उन्होंने कारियों पर शैतान के तल्बीस (बहकावा व फुसलावा) के वर्णन के बारे में कायम किया है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कुछ सहाबा की उनके कुरआन करीम को याद करने के बदले शादी की थी, चुनाँचे सल्ल बिन सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा :

“मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास क़ौम के अंदर था, यकायक एक महिला खड़ी हुई और कहा : ऐ अल्लाह के पैगंबर ! इस ने अपने आपको आप के लिए अनुदान कर दिया है, अतः आप इस के बारे में अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। आप ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह फिर खड़ी हुई और कहा : ऐ अल्लाह के पैगंबर ! इस ने अपने आपको आप के लिए हिबा कर दिया है, अतः आप इस के बारे में अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। आप ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वह तीसरी बार खड़ी हुई और कहा : इस ने अपने आपको आप के लिए भेंट कर दिया है, अतः आप इस के बारे में अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। इस पर एक आदमी खड़ा हुआ और कहा : ऐ अल्लाह के पैगंबर ! मेरा इस से निकाह कर दीजिए।



आप ने फरमाया “क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है ? उस ने कहा : नहीं। आप ने फरमाया : “जाओ तलाश करो, चाहे लोहे की एक अंगूठी ही सही।” वह गए और तलाश किए फिर वापस आकर कहा : मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, लोहे की एक अंगूठी भी नहीं ! तब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा : क्या तुम्हारे पास कुरआन से कोई चीज़ है (क्या तुम्हें कुछ कुरआन याद है) ? उस ने उत्तर दिया : मुझे फलाँ और फलाँ सूरत याद है। आप ने फरमाया : “जाओ, मैं ने तुम्हारे पास जो कुछ कुरआन है उस के बदले इस महिला से तुम्हारा निकाह कर दिया।”)

इसे बुखारी (हदीस संख्या : 5149) ने अध्याय : कुरआन पर शादी कराना, में और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1425) ने रिवायत किया है।

हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ने कहा :

“काज़ी अयाज़ ने फरमाया : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान (जो कुछ तुम्हारे पास कुरआन है उसके कारण) में दो अर्थ की संभावना है :

उन दोनों में सबसे स्पष्ट यह है कि : उन के पास जो कुरआन है वह उस में से एक निर्धारित मात्रा उसे सिखा दें, और यही उसकी महर होगी। यह टीका मालिक से वर्णित है, और इसका समर्थन कुछ शुद्ध तरीक़ो (सनदों) में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन से होता है : “तुम उसे कुरआन से (कुछ) सिखा दो।”

और यह भी संभावित है कि “बा” लाम के अर्थ में हो, अर्थात् तुम्हारे पास जो कुरआन है उसके कारण, इस तरह आप ने उसे सम्मान दिया कि उसकी शादी उस महिला से बिना महर के कर दी इस कारण कि वह कुरआन या उसके कुछ भाग का हाफिज़ था।

इसी के समान उम्मे सुलैम के साथ अबू तल्हा का किस्सा भी है, जिसे इमाम नसाई ने जाफर बिन सुलैमान के तरीक़ (सनद) से, साबित से और उन्होंने ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है और उसे सहीह करार दिया है, कि उन्होंने ने कहा : (अबू तल्हा ने उम्मे सुलैम को शादी का पैगाम दिया, तो उन्होंने ने कहा : अल्लाह की क़सम ! आपके जैसे आदमी को ठुकराया नहीं जाता है, परंतु आप काफिर हैं और मैं मुलमान हूँ और मेरे लिए आप से शादी करना हलाल नहीं है, यदि आप इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो वही मेरा महर है, और मैं आप से उस के अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं माँगूँगी। चुनांचे वह मुसलमान हो गये, तो यही (अर्थात् इस्लाम स्वीकार करना ही) उनका महर था।)

तथा नसाई ने अब्दुल्लाह बिन अबैदुल्लाह बिन अबी तल्हा के तरीक़ से अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : (अबू तल्हा ने उम्मे सुलैम से शादी की तो उन दोनों के बीच इस्लाम स्वीकार करना ही महर था।) उन्होंने ने संपूर्ण किस्सा का उल्लेख किया और उसके अंत में फरमाया : तो यह उन दोनों के बीच महर था। इस पर नसाई ने यह सुखीं



लगाई है : “इस्लाम पर शादी करना”, फिर उन्होंने ने सहल की हदीस पर यह सुर्खी लगाई है : “कुरआन की एक सूरत पर शादी कराना”, तो गोया कि वह दूसरी संभावना के समर्थन की ओर रूझान रखते हैं। संछेप के साथ “फत्हुल बारी” (9/212, 213) से समाप्त हुआ।

हम ने जो कुछ ऊपर उल्लेख किया है उसके उपरांत, हम कोई एक विशिष्ट हदीस या असर नहीं जानते हैं जो कुरआन करीम के हाफिज़ से शादी करने वाली स्त्री की फज़ीलत का वर्णन करती हो कि उसके लिए इतना और इतना अज़्र व सवाब है, या उसके लिए फज़ीलत वगैरह का वादा है।